संख्या-10ध्2023ध्001-60 3 2023 ई 2360902 सी 1612299

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ रू दिनांक मार्च, 2023

विषयरू-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या2-49 राजस्वग पक्ष में महिला आश्रय सदनों के सुचारू संचालन हेतु वित्तीनय स्वी2कृति निर्गत किये जाने के सम्बपन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्यो-49 राजस्वम पक्ष में राज्यन समाज कल्या ण सलाहकार परिषद के अधीन महिला आश्रय सदन की स्था पनाध्सुचारू संचालन हेतु वित्तीरय स्वीरकृति निर्गत किया जाना।

नियम व शर्तेध्प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकारध्राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशोंध्गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-13ध्2022ध्बी-1-454ध्दस-2022-231ध्2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,67,362 (रुपये बारह लाख सड़सठ हजार तीन सौ बासठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 2235021900700 राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद् के अधीन ष्महिला आश्रय सदनष् की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13ध्2022ध्बी-1-454ध्दस-2022-231ध्2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

संख्या-10ध्2023ध्001-60 3 2023 ई 2360902 सी 1612299, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथमध्द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनील कुमार यादव,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।